

एकीकृत पेंशन योजना

प्रलिस के लयि:

एकीकृत पेंशन योजना (UPS), मुद्रासफीत सूचकांक, औद्योगिक शरमकों के लयि अखलि भारतीय उपभोक्ता मूलय सूचकांक, पुरानी पेंशन योजना (OPS), राषट्रीय पेंशन योजना (NPS), आयकर अधनियम, 1961, पेंशन फंड नयामक और वकिस पराधकिरण (PFRDA), ःण-GDP अनुपात

मेन्स के लयि:

भारत के पेंशन फ्रेमवर्क में परविरतन तथा अरथवयवस्था और समाज पर इसका परभाव ।

[सरोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यौं?

केंद्रीय मंत्रमंडल ने [एकीकृत पेंशन योजना \(UPS\)](#) को मंजूरी दे दी है, जो सरकारी कर्मचारियों को सेवानवृत्त के बाद सुनश्चिति पेंशन परदान करेगी ।

- यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से परभावी होगी, जब केंद्र सरकार के कर्मचारी वर्तमान राषट्रीय पेंशन परणाली (NPS) से UPS में स्थानांतरति हो जाएंगे ।
- राज्य सरकारों के पास एकीकृत पेंशन योजना अपनाने का वकिलप भी होगा ।

एकीकृत पेंशन योजना के प्रावधान क्या हैं?

- सुनश्चिति पेंशन: यह 25 वर्ष की न्यूनतम अरहक सेवा के लयि सेवानवृत्त से पहले अंतमि 12 महीनों में कर्मचारी के औसत मूल वेतन का 50% होगा ।
 - यह राशान्यूनतम 10 वर्ष तक की छोटी सेवा अवध के लयि आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी ।
- सुनश्चिति न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानवृत्त की स्थति में UPS 10,000 रुपए परतमाह की सुनश्चिति न्यूनतम पेंशन परदान करता है ।
- सुनश्चिति पारवारिक पेंशन: सेवानवृत्त व्यक्त की मृत्यु पर उसका नकिटतम पारवार सेवानवृत्त व्यक्तद्वारा अंतमि बार पराप्त पेंशन का 60% पाने का पात्र होगा ।
- मुद्रासफीत सूचकांकीकरण: उपर्युक्त तीनों परकार की पेंशनों पर महंगाई राहत उपलब्ध होगी ।
 - औद्योगिक शरमकों के लयि अखलि भारतीय उपभोक्ता मूलय सूचकांक के आधार पर सूचकांक की गणना की जाएगी ।
- सेवानवृत्तपर एकमुशत भुगतान: ग्रेच्युटी के अतरिकित कर्मचारियों को सेवानवृत्तपर एकमुशत भुगतान पराप्त होगा, जो सेवा के परत्येक छह माह पूरे होने पर सेवानवृत्त तिथि के अनुसार उनके मासकि वेतन (वेतन+DA) के 1/10वें भाग के बराबर होगा ।
 - इस भुगतान से सुनश्चिति पेंशन की राशपर कोई असर नहीं पड़ेगा ।
 - ग्रेच्युटी एक ऐसी राश है, जो नयोकता द्वारा अपने कर्मचारियों को उनकी सेवाएँ परदान करने के लयि दी जाती है ।
- कर्मचारियों के लयि वकिलप: कर्मचारी अभी भी NPS के अंतरगत बने रहने का वकिलप चुन सकते हैं । हालाँकि कोई भी कर्मचारी केवल एक बार ही वकिलप चुन सकता है । एक बार वकिलप चुनने के बाद वकिलप को बदला नहीं जा सकता ।

UPS, पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राषट्रीय पेंशन योजना (NPS) के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?

- पेंशन गणना वधि: OPS में पेंशन अंतमि मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते (DA) के 50% के बराबर तय की गई थी ।
 - UPS में पेंशन की गणना रटायरमेंट से पहले आखरी वर्ष में लयि गए मूल वेतन और DA के औसत के 50% के रूप में की जाती है । इस समायोजन का अरथ है कि अगर कसिी कर्मचारी को रटायरमेंट से कुछ समय पहले पदोन्नतमिलति है तो उसे थोड़ी कम पेंशन मिलेगी ।
- कर्मचारी अंशदान: OPS में कसिी कर्मचारी अंशदान की आवश्यकता नहीं थी ।

- UPS में कर्मचारी का अंशदान मूल वेतन और DA का 10% है तथा सरकार भी 18.5% का योगदान करेगी।
- NPS में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन से 10% तथा सरकार से 14% अंशदान की आवश्यकता होती है।
- कर लाभ: केंद्र सरकार के कर्मचारी **NPS योजना** में सरकार के योगदान के लिये कर लाभ के पात्र हैं। वे **आयकर अधिनियम, 1961** के तहत पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं से 14% की कटौती कर सकते हैं।
 - चूँकि OPS में कर्मचारियों का कोई योगदान नहीं था, इसलिए वे कर लाभ नहीं उठा सकते।
 - सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि UPS के अंतर्गत कर्मचारी और सरकारी अंशदान पर कोई कर लाभ मल्लिगा या नहीं।
- UPS में उच्च न्यूनतम पेंशन: UPS योजना के तहत 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्तिके समय प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए है।
 - दस वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि के बाद वर्तमान न्यूनतम राशि 9,000 रुपए है।
- एकमुश्त भुगतान: OPS ने पेंशन के 40% तक के एकमुश्त भुगतान की अनुमति दी, जिससे मासिक पेंशन राशिकम हो गई।
 - UPS सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करता है, जिसकी गणना मासिक वेतन के दसवें हिस्से के साथ-साथ प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिये महंगाई भत्ते के रूप में की जाती है तथा पेंशन राशि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) क्या है?

- परिचय: NPS की शुरुआत बाज़ार से संबद्ध एक अंशदान योजना थी, जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तियों को उनकी सेवानिवृत्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पेंशन के रूप में आय उपलब्ध कराने में मदद करने हेतु की गई थी
 - भारत के पेंशन विनियमों को आधुनिक बनाने की सरकार की प्रतबद्धता के तहत 1 जनवरी 2004 को NPS ने OPS का स्थान ले लिया।
 - पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA), PFRDA अधिनियम, 2013 के तहत NPS को विनियमित व प्रशासित करता है।
- NPS की आवश्यकता: OPS के साथ एक बुनियादी समस्या थी अर्थात् यह वृत्तिपोषिती नहीं थी और पेंशन हेतु कोई विशेष कोष नहीं था।
 - समय के साथ इसके कारण सरकार की पेंशन देयता वृत्तीय दृष्टि से असह्य स्तर तक बढ़ गई।
 - केंद्र की पेंशन देनदारियाँ वर्ष 1990-91 में 3,272 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 1,90,886 करोड़ रुपए हो गईं।
- NPS की कार्यप्रणाली: NPS दो मूलभूत तरीकों से OPS से भिन्न थी।
 - सबसे पहले इसने सुनिश्चित पेंशन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया।
 - दूसरा इसका वृत्तिपोषण कर्मचारी द्वारा स्वयं किया जाएगा तथा सरकार भी इसमें उतना ही योगदान देगी।
 - परिभाषित अंशदान में कर्मचारी द्वारा मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% तथा सरकार का 14% अंशदान शामिल था।
 - NPS के अंतर्गत व्यक्तियों NPS में जमा अपने धन को निवेश करने के लिये अनेक योजनाओं और पेंशन फंड प्रबंधकों के साथ-साथ निजी कंपनियों में से भी चुन सकते हैं।
- NPS का वरिध: NPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को कम गारंटीकृत रटिर्न मल्लिता था और उन्हें अपनी पेंशन में योगदान देना पड़ता था, जबकि OPS में कर्मचारियों का कोई योगदान नहीं था तथा गारंटीकृत रटिर्न अधिक था।
 - पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने के लिये चल रही मांगों के बीच, केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में. वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की शुरुआत की गई है।

UPS के राजकोषीय नहितार्थ क्या हो सकते हैं?

- अधिक ऋण-GDP अनुपात: एक ऐसी सरकार पर, जो पहले से ही उच्च ऋण और ऋण-GDP अनुपात से जूझ रही है, एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का महत्वपूर्ण वृत्तीय प्रभाव पड़ेगा।
 - इस योजना की लागत से सरकारी वृत्ति पर और अधिक दबाव पड़ सकता है।
- उच्च राजकोषीय बोझ: भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा किये गए एक अध्ययन (सितंबर 2023) में चेतावनी दी गई है कि यदि सभी राज्य OPS को लागू कर देते हैं तो राजकोषीय बोझ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के 4.5 गुना तक हो सकता है, जो संभवतः वर्ष 2060 तक सकल घरेलू उत्पाद का 0.9% वार्षिक तक पहुँच सकता है।
 - इस बात को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है कि UPS संघीय वृत्ति पर किस प्रकार प्रभाव डालेगा, क्योंकि यह मोटे तौर पर OPS जैसा ही है।

निष्कर्ष

UPS का लक्ष्य कर्मचारियों की आकांक्षाओं के साथ राजकोषीय लागत को संतुलित करना है। यह राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की अनिश्चितता तथा पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू करने के परिणामस्वरूप पड़ने वाले अंतरकृत राजकोषीय दबाव की समस्या को संबोधित करता है। UPS पुरानी पेंशन योजना (परिभाषित लाभ) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (अंशदायी) दोनों के तत्त्वों को समाहित करता है, पेंशन पूल पर एक परिभाषित रटिर्न/लाभांश प्रदान करता है तथा बाज़ार जोखिम को कम करता है। सुनिश्चित रटिर्न और मुद्रास्फीति संरक्षण के साथ UPS से समग्र पेंशन फंड में वृद्धि होने की आशा है, जिससे ऋण बोझ से जुड़े कुछ जोखिम कम हो जाएंगे।

QUESTION: _____

प्रश्न. एकीकृत पेंशन योजना (UPS), पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के बीच प्रमुख अंतरों की व्याख्या कीजिये। UPS किस प्रकार NPS से जुड़े जोखिमों को कम करने का प्रयास करता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल हो सकता है? (2017)

- (a) केवल नविसी भारतीय नागरकि
- (b) केवल 21 से 55 वर्ष की आयु के व्यक्ति
- (c) अधसूचना की तारीख के बाद सेवाओं में शामिल होने वाले सभी राज्य सरकार के कर्मचारी तथा संबंधित राज्य की सरकारों द्वारा अधसूचना कयि जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आये हैं
- (d) सशस्त्र बलों सहित केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, जो 1 अप्रैल, 2004 या उसके बाद सेवाओं में शामिल हुए हैं

उत्तर: (c)

प्रश्न. 'अटल पेंशन योजना' के संबंध में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमकों पर लक्षित एक न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन योजना है
2. एक परिवार का एक ही सदस्य इस योजना में शामिल हो सकता है
3. यह ग्राहक की मृत्यु के बाद जीवनभर के लयि पत्निया पत्नी हेतु समान राशिकी पेंशन गारंटी है।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)